18 17 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

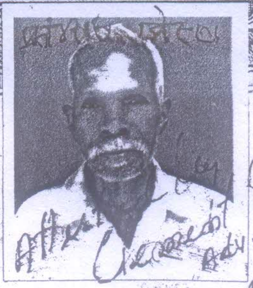

Attested Advocate 07.01.2010

46 I Pro

23 I A with the Permission By S.D.O. Simdega vide Case No 116/2009-10 order dt 19.12.09.

7.1.10

§1§ लेख्यकारी:- श्री फ्रांसिस खेस्स पिता स्व0 पास्कल खेस्स जाति- उरांव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 15/2010

Sold no. 377 dt. 22-12-09

421/09

000197/09

कार्यालय जिला कोषा पदाधिकारी
12 DEC 2009
सिमडेगा

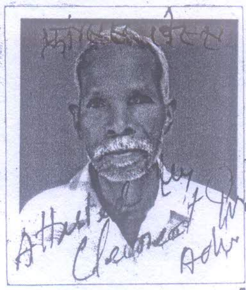

Attested by Clement Toppo Adv.

07-01-2010

फ्रांसिस खेस्स
वल्द स्व० पी० एस० कल खेस्स
साकिन जी सामटोली सिमडेगा
विक्रेता/विनिमय ... स्टाम्प
वासी ... केवाला
रुपया 7,400/-
कोषागार लिपिक
सिमडेगा कोष

5000×1 = 5000=
1000×2 = 2000=
100×4 = 400=
कुल — 7,400=

फ्रांसिस खेस्स

11-1-10

11-1-10   10 से 1.00 ... का ...
... में ... निबन्धन कार्यालय
सिमडेगा में ... निष्पादन
... उनके मुख्तार जो ...
... संख्या ...
... के बिना ...
निबन्धक द्वारा स्वीकृत है।
... फ्रांसिस खेस्स
... स्व० पी० एस० कल खेस्स
... जी सामटोली सिमडेगा
... जी
... 1.10

9315
11.1.10

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये   ONE THOUSAND RUPEES

(2) लेख्यधारी:- श्री ख्रीस्तोफर लकड़ा पिता स्व0 लुइस लकड़ा जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- पिथरा माहकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

·· भारतीय नागरिक ·· क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 16/ 2010

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वेला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मो0बलिग एक लाख पचासी हजार रूपयें अंके 1,85,000/- रूपये होता है ।

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी महतोटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 32 (बतीस) प्लॉट नं0 2494 (चौबीस सौ चौरानबे) रकबा 3·68 एकड़ में से 0·19 एकड़ (उन्नीस डिसमिल) यह जमीन व्यवसायिक नहीं है पूर्णत: आवासीय है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश कच्ची रास्ता,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश दूसरा हिस्सा टांड़,

पूरब :- प्यारा लॉज का हाता इसी प्लॉट का अंश,

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

पश्चिमः- इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी टाॅड़ ।
मालगुजारी 20 पैसा (बीस पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बेची जा रही जमीन मेरी खतियानी है पिछले नाप में गन्दुरा उराँव वो हुला उराँव वो लुइयू उराँव वो बड़ा पतरस उराँव वो मुशव उराँव पेशरान मलर उराँव वो लखना उराँव वो जोहन उराँव वो छोटा पतरस उराँव वो लुइस उराँव

100Rs.

वो मतियस उराँव वो थोमस उराँव वो पौलुस उराँव पेशरान घसीया उराँव वो रफैल उराँव वल्द मोरहा उराँव वो चन्दा उराँव वल्द झीरगा उराँव के नाम से कायमी नाप हुआ था । खतियानी रैयतों की मृत्यु हो चुकी है । खतियानी रैयत चन्दा उराँव मेरे दादा थे । खतियानी रैयतों के बीच जमीन का बँटवारा पूर्व में ही हो चुका है । मेरे दादा चन्दा उराँव के तीन पुत्र थे जोहन उराँव, पास्कल उराँव तथा अलविस उराँव । जोहन उराँव तथा अलविस उराँव नावल्द मर गये । पास्कल उराँव मेरे पिताजी थे । उनका भी मृत्यु हो चुकी है । मेरे पिताजी के तीन पुत्र हुए । तानिस उराँव, मैं फ्रांसिस उराँव तथा नुवेल उराँव । हम तीनों भाईयों को उत्तराधिकारी के द्वारा जमीन प्राप्त हुआ । हम तीनों भाईयों के बीच जमीन का बँटवारा मौखिक हो चुका है । बेची जा रही जमीन मेरे हिस्से वो दखल की है । सरकारी मालगुजारी रसीद मेरे बड़े भाई तानिस उराँव वगै0 के नाम से कटता है जिसका मालगुजारी संयुक्त रूप से अदा कर रहे है । उक्त जमीन पर किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद

100Rs.

संख्या 116/2009-10 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 19.12.2009 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 1000(11) दिनांक 19.12.2009 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

7-1-10

--6--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

फ्रांसिस खेस 7-1-10

फ्रांसिस खेस 7-1-10

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फ्रांसिस खेस ने अपने बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया।

Clement Tirkey, Adv.
07.01.2010

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

ख्रीस्तोफर लकड़ा 07/01/2010

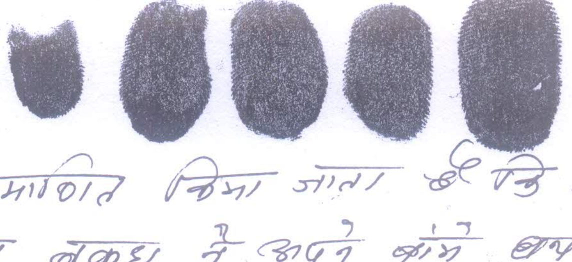

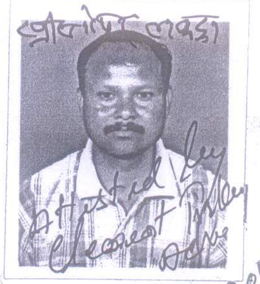

07-01-2010

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ख्रीस्तोफर लकड़ा ने अपने बांये हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया।

Clement Tirkey, Adv.
07.01.2010

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

--7--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

ह0/- Clement Tirkey
Advocate, Simdega.
(प्रारूपकर्ता)
तारीख.- 07-01-2010

फ्रांसिस खेस
7-1-10

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 672 शब्द टंकित है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो0 मकसुद
7-1-2010

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

फ्रांसिस खेस
7-1-10